कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015
दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

बिहार सरकार

सत्यमेव जयते

संचिका संख्याः– मो०–41/19 (सांख्यिकी) 5426 कृ०,पटना दिनांक 7 नवम्बर, 2019

प्रेषक,

महत्वपूर्ण

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
सभी जिला कृषि पदाधिकारी।

विषय : **खरीफ 2019 में बाढ़/अतिवृष्टि के कारण प्रभावित फसलों एवं अल्पवृष्टि के कारण परती कृषि योग्य भूमि के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश।**

प्रसंग : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के संकल्प ज्ञापांक 01/प्रा०आ०(फसल क्षति)–41/2019/3638/आ० प्र० दिनांक 30.10.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में खरीफ 2019 में बाढ़/अतिवृष्टि के कारण प्रभावित फसलों एवं अल्पवृष्टि के कारण परती रहे कृषि योग्य भूमि के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि अनुदेश के अनुरूप कृषि इनपुट अनुदान वितरण का कार्य सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

सम्बन्धित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अविलम्ब अपर समाहर्ता, साहाय्य/प्रभारी पदाधिकारी, साहाय्य को नामित करते हुए उनका E-mail तथा Mobile No उपलब्ध करायें ताकि उन्हें Login ID एवं Password उपलब्ध कराया जा सके।

अनु० : क्रियान्वयन अनुदेश।

विश्वासभाजन

कृषि निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 5426 दिनांक : 07/11/2019

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य)/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 5426 दिनांक : 07/11/2019

प्रतिलिपि : सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सभी सचिव/उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 5426 दिनांक : 07/11/2019

प्रतिलिपि : विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

07.11.19
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

प्रभारी पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष : श्री अरूण कुमार, संयुक्त कृषि निदेशक(सांख्यिकी), बिहार, पटना। (दूरभाष–9431818768)

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015
दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

ज्ञापांक : 5426 दिनांक : 07/11/2019

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर निदेशक(शष्य) प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी० पी० एम०, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, डी० बी० टी० कोषांग, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक(शष्य) योजना, बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक(उद्यान)/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक(शष्य) प्रक्षेत्र/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/प्रभारी पदाधिकारी, बजट, कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य) दियारा एवं चौर विकास–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मैनेजर, किसान कॉल सेन्टर, मीठापुर, पटना/उप निदेशक(शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को ईमेल से भेजने हेतु प्रेषित।

07.11.19

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

कृषि विभाग

कृषि इनपुट अनुदान योजना
(खरीफ 2019)

बाढ़/अतिवृष्टि के कारण प्रभावित फसलों एवं अल्पवृष्टि के कारण परती कृषि योग्य भूमि के लिए अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में।

1. योजना का लाभ :

1.1 राज्य में खरीफ मौसम के खड़ी फसलों में बाढ़/अतिवृष्टि के कारण प्रभावित फसलों एवं अल्पवृष्टि के कारण कृषि योग्य परती भूमि में किसानों को हुई क्षति की स्थिति को देखते हुए कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह अनुदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित साहाय्य मापदंडों के अनुरूप दिया जायेगा। इससे संबंधित संकल्प आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक–3638, दिनांक–30.10.2019 के द्वारा निर्गत है।

1.2 अल्पवृष्टि के कारण खरीफ 2019 मौसम में **परती भूमि (अनाच्छादित क्षेत्र) के किसानों को यह** अनुदान 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से देय है। सम्पूर्ण खरीफ 2019 मौसम में अल्पवृष्टि के कारण अपने खेत में किसी तरह की फसल नहीं लगा पाये हो एवं खेत परती रहा हो, ऐसे की किसान को इस मद में अनुदान देय है।

1.3 **बाढ़/अतिवृष्टि से हुये फसल क्षति के लिए निम्न रूप से अनुदान देय होगा :–**

a) वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर।
b) सिंचित क्षेत्र के लिए 13500 रूपये प्रति हेक्टेयर।
c) शास्वत(पेरेनियल) फसलों के लिए 18000 रू० प्रति हेक्टेयर।
d) कृषि योग्य भूमि का डिसिल्टिंग (जहाँ बालू/सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो) के लिए 12200 रू० प्रति हेक्टेयर।

1.4 यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसानों को इस योजना के अन्तर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रूपया तथा शास्वत(पेरेनियल) फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2000 रूपया अनुदान देय है।

1.5 जिन किसानों को जुलाई, 2019 में आयी बाढ़ से हुई फसल क्षति हेतु कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जायेगा उन्हें पुनः माह सितम्बर, 2019 में आयी बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी अनुमान्य नहीं होगा।

2. अनुदेश :

2.1 इस योजना का लाभ ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।

2.2 जो किसान पूर्व से पंजिकृत नहीं हैं ऐसे किसान कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट **http://www.krishi.bih.nic.in** पर दिये गये लिंक **DBT in Agriculture** पर या **https://dbtagriculture.bihar.gov.in** पर लॉग–ईन कर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। किसान अपना डी०बी०टी० पंजीकरण अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र/ई–किसान भवन से निःशुल्क करा सकते हैं।